सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 13, शुक्रवार, शाके 1945-अगस्त 04, 2023 *Sravana 13, Friday , Saka 1945- August 04, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 27, 2023

जी.एस.आर.59 :-राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिये अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम सं. 34) की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिये अपील अधिकरण) नियम, 1976 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 का संशोधन.- राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिये अपील अधिकरण) नियम, 1976, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"6. अधिकरण का मुख्यालय और उसकी न्यायपीठ की बैठक का स्थान या के स्थान.-

अधिकरण का मुख्यालय और बैठक का स्थान जयपुर होगा। राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिकरण की स्थायी न्यायपीठ की बैठक का स्थान या के स्थान और प्रत्येक ऐसी न्यायपीठ की क्षेत्रीय अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगी।"

3. नियम 7 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 7 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उसके मुख्यालय या ऐसे अन्य स्थान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उसके मुख्यालय और उसकी स्थायी न्यायपीठ के स्थान या स्थानों पर और ऐसे अन्य स्थान" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ. 9 (1) डीओपी / ए-II / 99 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

शिव प्रसाद सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, July 27, 2023

G.S.R.59 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellate Tribunals) Act, 1976 (Act No. 34 of 1976), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellate Tribunal) Rules,1976, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellate Tribunal)(Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 6.- The existing rule 6 of the Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellate Tribunal) Rules,1976, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"6. Headquarter of the Tribunal and place or places of sitting of its bench.- The headquarter and place of sitting of the Tribunal shall be at Jaipur. The State Government may, by notification in the Official Gazette, specify the place or places of sitting of permanent bench of the tribunal and territorial jurisdiction of each such bench".

3. Amendment of rules 7.- In rule 7 of the said rules, for the existing expression "at its headquarters or at such other place", the expression "at its headquarters and place or places of its permanent bench and at such other place" shall be substituted.

[No.F.9(1)DOP/A-II/99 Part]
By order and in the name of the Governor,

SHIV PRASAD SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.